मूल हिन्दी

भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं.3570

04 अप्रैल, 2022 को उत्तर के लिए

सीएनजी पम्पों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्डों का आवंटन

3570 # चौधरी सुखराम सिंह यादवः

श्री राम नाथ ठाकुरः

श्री विशम्भर प्रसाद निषादः

श्रीमती छाया वर्माः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि विगत तीन वर्षों के दौरान सीएनजी पम्प एवं इलेक्ट्रॉनिक एवीएम चार्जिंग प्वाइंट का निर्माण करने हेतु 6 स्थलों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा भूखण्ड आवंटित किया गया है;

(ख) क्या इस धीमी गति के कारण दिल्ली में प्रदूषण कम होने की बजाय बढ़ गया है; और

(ग) क्या दिल्ली में वाहनों से प्रदूषण के स्तर में वृद्धि को देखते हुए सरकार एक सिंगल विंडो के तहत सीएनजी पम्प एवं इलेक्ट्रॉनिक एवीएम चार्जिंग प्वाइंट का निर्माण करने के इच्छुक लोगों को डीडीए से भूमि का आवंटन करने की सुविधा प्रदान करने का विचार करेगी ताकि दिल्ली में पर्याप्त संख्या में पम्प एवं इलेक्ट्रॉनिक एवीएम चार्जिंग प्वाइंट का निर्माण किया जा सके?

<u>उत्तर</u>

<u>आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री</u>

(श्री कौशल किशोर)

(क): जी, हाँ। डीडीए द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान सीएनजी स्टेशनों की स्थापना के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के (6) स्थलों का सीधा आवंटन तथा निजी स्वामित्व वाले अट्ठाईस (28) भू स्थलों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किए गए थे।

(ख): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सूचित किया है कि सीएनजी जैसे विनिर्दिष्ट ईंधन पर आधारित वायु प्रदूषण के आंकड़ों के संबंध में कोई विशिष्ट रिकार्ड नहीं रखे जाते हैं।

(ग): डीडीए द्वारा आवंटन या एनओसी का जहां तक संबंध है, डीडीए की वाणिज्यिक भूमि शाखा के साथ एकल खिड़की प्रणाली मौजूद है। आवेदक को मंजूरी/एनओसी के लिए उपर्युक्त शाखा में आवेदन/अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने होते हैं। यह प्रक्रिया सरल, पारदर्शी और ऑनलाइन है। दिल्ली मास्टर प्लान-2021 (एमपीडी-2021) में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए भूमि आवंटित किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है।

***